



Letter No./पत्रांक: DSW/6595-6598/2024

Date/दिनांक: 16.08.2024

सेवा में

1. विभागाध्यक्ष, सभी स्नातकोत्तर विभाग
2. प्रभारी प्रधानाचार्य, टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर
3. प्रभारी प्रधानाचार्य, मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर
4. प्रभारी प्रधानाचार्य, एस.एम. कॉलेज, भागलपुर  
ति.मौ. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

विषय: स्नातकोत्तर (सत्र: 2024-2026) में नामांकन के संबंध में।

महाशय/महाशया

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि स्नातकोत्तर (सत्र 2024-2026) में नामांकन की प्रक्रिया निम्नवत दिये गये कार्यक्रम के अनुसार संचालित करने का प्रस्ताव है:-

- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 1. आवेदन प्रपत्र जमा करने की अवधि                | : | 20.08.2024 से 05.09.2024 तक |
| 2. प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन                    | : | 09.09.2024                  |
| 3. प्रथम मेधा सूची से नामांकन                    | : | 10.09.2024 से 14.09.2024 तक |
| 4. द्वितीय मेधा सूची का प्रकाशन                  | : | 17.09.2024                  |
| 5. द्वितीय मेधा सूची से नामांकन                  | : | 18.09.2024 से 23.09.2024 तक |
| 6. तृतीय मेधा सूची का प्रकाशन (आवश्यकता होने पर) | : | 24.09.2024                  |
| 7. तृतीय मेधा सूची से नामांकन                    | : | 25.09.2024 से 27.09.2024 तक |
| 8. वर्गाध्यापन                                   | : | 23.09.2024                  |

नोट:-

1. विश्वविद्यालय में UMIS का काम बंद है। अतः सभी स्तर पर नामांकन offline mode में ही किया जायेगा।
2. आवेदक अपना आवेदन संबंधित विषय के विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में जमा करेंगे। आवेदित आवेदनों से संबंधित विभाग के अध्यक्ष मेधा सूची तैयार करेंगे और महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर केन्द्र को भी मेधा सूची उपलब्ध करायेंगे।
3. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन हेतु देय राशि छात्र-छात्राएँ विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करेंगे।
4. महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर केन्द्र में नामांकन लेने वाले छात्र/छात्राएँ संबंधित महाविद्यालय में ही नामांकन हेतु नियत राशि जमा करेंगे।
5. नामांकन की प्रक्रिया पूर्णरूपेण स्वच्छ एवं पारदर्शी कराया जाय।
6. नामांकन में आरक्षण नियमावली बिहार सरकार की अद्यतन नियमावली का अनुपालन होगा।
7. प्रत्येक अवस्था में नामांकन प्रक्रिया नियमानुसार ही सम्पन्न होगी। आरक्षण नियमावली का पालन, मेधा सूची इत्यादि का ध्यान अवश्य रखा जाय। नामांकन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित विभाग के अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
8. विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग सिर्फ Common Admission Form Semester-I के साथ संबंधित अभ्यर्थी के आवश्यक कागजात के जाँचोपरांत विश्वविद्यालय छात्र सेवा केन्द्र को भेजेंगे तथा प्रवेशार्थ आवेदन पत्र एवं इसके साथ संलग्न कागजात अपने विभाग में ही रिकार्ड हेतु संरक्षित रखेंगे।

ज्ञापांक: DSW/6599-6601/ दिनांक: 16/08/2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जन सम्पर्क पदाधिकारी,
2. कुलपति के निजी सहायक एवं
3. कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, ति.मौ.भा.वि., भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

(विजेन्द्र कुमार)  
अध्यक्ष छात्र कल्याण

16.08.2024

(विजेन्द्र कुमार)  
अध्यक्ष छात्र कल्याण